

राजस्थान सरकार
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर
(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel.2227725)
जयपुर, दिनांक 22/2/2021
क्रमांक :- एफ 61(9) SSAAT / संस्थापन / पार्ट फाईल / 2020 1894

कार्यालय आदेश -उपार्द्ध संख्या- 22/22/02/21)

सोसायटी की कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 के निर्णय संख्या 1.5 के क्रम में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 61(5) SSAAT / विविध / 2019 / 7286-7409 दिनांक 04.03.2020 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है।

अतः सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR) के प्रावधानान्तर्गत एवं कार्यकारी समिति (SSAAT) की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 की निर्णय संख्या 1.5 की पालनार्थ इस सोसायटी के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 61(9) SSAAT / संस्थापन / 2019 / 114-122 दिनांक 12.01.2021 द्वारा कार्यालय के कार्य सम्पादन हेतु श्री प्रदीप काला, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम को (उप निदेशक के पदस्थापन तक) कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया गया था।
शासी निकाय (G.B.) की द्वितीय बैठक दिनांक 29.12.2020 में कार्य समिति के इस आशय के निर्णय की पुष्टि भी की जा चुकी है।

कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 61(9) SSAAT / संस्थापन / पार्ट फाईल / 2020 / 161-173 दिनांक 21.01.2021 के द्वारा श्री सोहनलाल अग्रवाल सहायक लेखाधिकारी-ग्रेड प्रथम को आहरण वितरण अधिकारी नियुक्त किया गया था, परन्तु आयुक्त नरेगा द्वारा उन्हें कार्यमुक्त नहीं करने से उनके द्वारा कार्य सम्पादन नहीं किया जा रहा है।

आयुक्त नरेगा द्वारा उन्हें कार्यमुक्त नहीं करने से उनके द्वारा कार्य सम्पादन नहीं किया जा रहा है।
कार्यालय कार्य को सुचारू एवं सुव्यवस्थित रूप से संचालन करवाने हेतु श्री प्रदीप काला के स्थान पर मैं, रामावतार शर्मा, निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, श्री दिनेश कुमार अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम को कार्यालयाध्यक्ष घोषित करता हूँ।

कार्यालयाध्यक्ष सोसायटी के कार्यालय का संचालन नियमानुसार सुनिश्चित करायेंगे और समस्त कार्यालय स्टाफ (अधिकारी / कर्मचारीगण मय संविदा कर्मियों) का समय पालन एवं कर्तव्य पालन पर निगरानी (Supervision) रखेंगे।

उक्त अधिकारी कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी के कर्तव्यों, कार्यालय कार्यों, लेखों, भुगतान कार्यों, भण्डार क्रय व संधारण सम्बन्धी एवं अन्य समस्त कार्यों का नियमानुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त अधिकारी सोसायटी (SSAAT) की शासी निकाय / कार्यकारी समिति के निर्णयों / दिशा-निर्देशों एवं राज्य सरकार में प्रचलित नियमों के प्रावधानान्तर्गत समस्त आवश्यक कार्यवाही करने के लिये उत्तरदायी होंगे।

श्री दिनेश कुमार अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, के अवकाश के दौरान, कार्य अधिकता की स्थिति में श्री प्रदीप काला, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, के द्वारा उपरोक्त समस्त कार्य सम्पादित करने / श्री दिनेश कुमार अग्रवाल के कार्य में सहयोग करने हेतु अधिकृत एवं उत्तरदायी होंगे।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं
पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT)
जयपुर, दिनांक

क्रमांक :- एफ 61(9) SSAAT / संस्थापन / पार्ट फाईल / 2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, सह अध्यक्ष महो. शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
2. निजी सचिव, अति मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, (SSAAT)
3. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार राजस्थान।
4. निजी सचिव, सचिव ग्रामीण विकास विभाग सह सदस्य सचिव, शासी निकाय (G.B.), SSAAT
5. श्रीमान् आयुक्त, मनरेगा को पूर्व में श्री सोहनलाल अग्रवाल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम, के लिए जारी किये गये आदेशों की पालना के अभाव में सूचनार्थ प्रेरित है।
6. निजी सचिव, निदेशक SSAAT।
7. सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, संविधालय शाखा जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. श्री प्रदीप काला, सहायक लेखाधिकारी (प्रथम) SSAAT जयपुर।
9. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी (प्रथम) SSAAT जयपुर।
10. समरत सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय, प्रोग्रामर, कनिष्ठ लेखाकार, सूचना सहायक / अन्य कर्मचारीगण SSAAT।
11. लेखा शाखा SSAAT।
12. रक्षित पत्रावली।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक